न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी बीना माहवर, आर0ए0एस0)

पत्रावली संख्या अपील 35 / 2019

कोकसिंह पुत्र श्री भगवानसिंह जाति लोधा निवासी खेरिया बिल्लोच तहसील रुपवास जिला भरतपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रुपवास जिला भरतपुर

.....रस्पो0

उपस्थित :–

1– श्री गोबिन्द सिंह डांगुर, अभिभाषक, अपीलान्ट
2– राजकीय अभिभाषक रेस्पो0

अपील विरुद्ध आदेश तहसीलदार रुपवास निर्णय दिनांक 9.5.2019 वमुकदमा संख्या 06 / 18

दिनांक 27.10.2020

निर्णय

अपीलान्ट ने यह अपील विरुद्ध रेस्पो0 तहसीलदार रुपवास के आदेश दिनांक 9.5.2019 के खिलाफ पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश में तहसीलदार रुपवास ने आराजी खसरा नम्बर 594 रकवा 0.04 विस्वा भूमि गैर मुमकिन रास्ता से अतिकमी अपीलान्ट को बेदखल किये जाने पैनल्टी कायम किये जाने की आज्ञा दी गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 एवं पत्रावली तहत तलब की गई। तहसीलदार रुपवास से प्राप्त तहत पत्रावली शामिल मिसिल की गई । अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में अंपील में अंकित कथनों को

.....2

अतिरिक्त जिला कलक्टर

दोहराते हुये जाहिर किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 594 आबादी क्षेत्र में स्थित है, विवादित भूमि पर अपीलान्ट ने कोई अतिक्रमण नहीं किया है। अपीलान्ट के घूडा, बिटौरा, लकड़ी, पत्थर वगै0 अपनी पैतृक भूमि में डाल रखे हैं, जहॉ अपीलान्ट के पूर्वज की छतरी बनी हुई है। नौहरे के सामने 30 फुट रास्ता है उस पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है। उनका यह भी तर्क है कि तहत न्यायालय ने विवादित आराजी की कोई पैमाईस वगैरा नहीं कराई है, कयास के आधार पर पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर क्षेत्राधिकार से बाहर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ है। अपीलान्ट गरीब एवं अशिक्षित व्यक्ति है, वास्तविक अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति दूसरे हैं जिनके खिलाफ कार्यवाही नहीं की गई ह। तहत न्यायालय को कार्यवाही करने का कोई अधिकार नहीं है। अन्त में योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई।

राजकीय अभिभाषक ने अपने तर्कों में जाहिर किया कि विवादित आराजी गैर मुमकिन रास्ता है जिस पर अपीलान्ट ने घूडा, बिटौरा, लकड़ी, पत्थर वगै0 डालकर अतिक्रमण किया गया है। तहसीलदार ने विधिवत कार्यवाही करते हुये अपीलान्ट अतिक्रमी को विवादित आराजी से बेदखल करने एवं पैनल्टी कायम किये जाने की सही आज्ञा पारित की है। विवादित आराजी गैरमुमकिन रास्ता है। विवादित आराजी पर अपीलान्ट किसी प्रकार का रिलीफ पाने का हकदार नहीं है। अपील खारिज की जावे।

हमने पत्रावलीयों का अवलोकन किया गया। योग्य अभिभाषक उभय पक्षकार के कथनों पर गौर किया गया। तहत पत्रावली में उपलब्ध रिपोर्ट पटवारी एवं खसरा परिवर्तित ग्रांम खेरिया विलौच के अवलोकन से जाहिर है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 594 के रकवा में से रकवा 0.04 किस्म भूमि गैर मुमकिन रास्ता पर अपीलान्ट ने घूडा, बिटौरा, लकड़ी, पत्थर वगै0 डाल कर अतिक्रमण कर लिया है। विवादित भूमि गैर मुमकिन रास्ता है जो धारा 16 एल.आर.एक्ट के तहत प्रतिबन्धित श्रेणी में आता है, ऐसी भूमि पर अपीलान्ट कोई रिलीफ पाने का हकदार नहीं रहता है। परन्तु योग्य अभिभाषक अपीलान्ट का यह कथन कि विवादित भूमि आबादी क्षेत्र की भूमि है, विवादित भूमि की पैमाईस मौका जॉच नही किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। पत्रावली तहत के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहत न्यायालय द्वारा विवादित आराजी की पैमाईस करने एवं मौका जॉच करने बाबत कोई उल्लेख तहत पत्रावली पर नहीं है। अतः विवादित आराजी के अतिक्रमण के बाबत खसरा नम्बर 594 रकवा 0.04 की

.....3

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

पैमाईस कराया जाना एवं क्या विवादित भूमि आबादी क्षेत्र में है की बाबत जॉच कराये जाने हेतु प्रकरण तहसीलदार रुपवास को रिमान्ड किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 9.5.2019 निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार रुपवास को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकार की उपस्थिति में विवादित आराजी खसरा नम्बर 594 के रकवा 0.04 की पैमाईस कराई जावे एवं मौका रिपोर्ट तैयार कर एवं विवादित आराजी के आबादी क्षेत्र में आने बाबत जॉच कर अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये नियमानुसार पुनः निर्णय पारित करें। निर्णय प्रति के साथ तहत पत्रावली तहसीलदार रुपवास को लौटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 27.10.2020 को सुनाया गया।

(बीना माहवर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भरतपुर